न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 88 / 2008

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 विजय कुमार जैन पुत्र सज्जन लाल।
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र नथमल।
3 अशोक कुमार श्रीमाल पुत्र नथमल समस्त जाति महाजन निवासीगण झुंझुनू हाल निवासी जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 भींवराज पुत्र भगवान दास जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 10 झुंझुनू ।
2 श्रीमान तहसीलदार झुंझुनू।
3 भंवरलाल पुत्र सुरजाराम नायक।
4 सुरजाराम पुत्र रामु नायक।
5 उमरदीन पुत्र अलादीन।
6 सुन्दर देवी पत्नी प्यारेलाल।
7 नरेश कुमार पुत्र प्यारेलाल।
8 सरोज पत्नी ओमप्रकाश।
9 श्रीचन्द पुत्र धुकलराम।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 14.07.08
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू बमुकदमा
डनवानी भींवराज बनाम तहसीलदार झुंझुनू
मु0नं0 294/2008 रिकार्ड दुरूस्ती

अपील संख्या 97/2008

1 भंवरलाल आयु 48 वर्ष पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भींवाराम पुत्र भगवान दास जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 10 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 तहसीलदार महोदय झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3 श्रीमती कमला देवी उम्र 40 साल स्त्री सुभाषचन्द्र निवासी वार्ड नं. 9 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
4 उमरदीन उम्र 75 साल पुत्र अलादीन जाति तैली निवासी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 14.07.08
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उनवानी
भींवराज बनाम तहसीलदार झुंझुनू मु0 नं0 294/08

अपील संख्या 99/2008

1 श्रीचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र धुकलराम जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुंझुनू।
2 श्रीमती सुन्दर देवी आयु 65 वर्ष पत्नी प्यारेलाल।
3 नरेश कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र प्यारेलाल।
4 श्रीमती सरोज आयु 30 वर्ष स्त्री ओमप्रकाश।
5 ओमप्रकाश आयु 40 वर्ष पुत्र प्यारेलाल समस्त जाति जाट निवासीगण अणगासर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भींवराज पुत्र भगवान दास जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 10 झुंझुनू ।
2 श्रीमान तहसीलदार झुंझुनू।
3 मृतक निहालचन्द पुत्र सज्जनलाल जाति महाजन निवासी श्रीमालों का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नोट देहान्त हुये काफी अरसा हो गया।
3/1 राजेन्द्र कुमार पुत्र निहालचन्द।
3/2 अशोक कुमार पुत्र निहालचन्द।

3/3 श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री निहालचन्द।
3/4 श्रीमती निर्मला देवी पुत्री निहालचन्द।
3/5 श्रीमती चंदन देवी पुत्री निहालचन्द ।
4 विजय कुमार पुत्र सज्जनलाल समस्त जाति महाजन निवासी श्रीमालों का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
5 मृतक सुरजाराम पुत्र रामूराम।
5/1 भंवरलाल पुत्र दत्तक पुत्र सुरजाराम समस्त जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
6 उमरदीन पुत्र अलादीन समस्त जाति तैली मुसलमान निवासी मोहल्ला नायकान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 14.07.08 व डिक्री दिनांक 23.07.08 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा डनवानी भीमराज बनाम तहसीलदार झुंझुनू दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड दावा सं.294/08

उपस्थित

1. श्री संदीप काजला अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री मुश्ताक अली अधिवक्ता अपीलांट
4. श्री महीपाल कपुरिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 11-2-19

यह तीनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा संख्या 294/08 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2008 व डिक्री दिनांक 23.07.2008 के विरूद्व प्रथक–प्रथक प्रस्तुत की गई है तीनों अपीले एक ही आदेश के विरूद्व होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलीयों में प्रथक–प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 भीमराज ने दिनांक 10.06.2008 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि जमीन खसरा नम्बर 523 में से 1 बीघा 8 बिस्वा जमीन रेस्पोडेंट नम्बर 5/1 से दिनांक 14.03.1996 को जरिये विकय पत्र कय की। यह भी प्रार्थना पत्र में अंकित किया ि कइस बाबत नामान्तकरण संख्या 2258 उसके हक में स्वीकृत हुआ इस कारण 1 बीघा 8 बिस्वा जमीन उसके नाम टीनेन्सी में दर्ज की जावें। रेस्पोडेंट नम्बर 1 के इस प्रार्थना पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार झुंझुनू को जांच कर रिपोर्ट करने का आदेश दिया। तहसीलदार झुंझुनु ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.06.2008 के आधार पर दिनांक 16.06.2008 को रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 17.06.2008 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में पेश की। इस रिपोर्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में दर्ज करने, नोटिस जारी करने व दिनांक 23.06.2008 को पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद दिनांक 14.07.2008 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने रिपोर्ट को दावा मानकर दिनांक 14.07.2008 को तहसीलदार झुंझुनू की रिपोर्ट का निर्णय

Laxmo
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

का अंग मानकर निर्णय व डिक्री पारित की। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 88/2008, 97/2008 एंव 99/2008 प्रस्तुत की है।

अपील संख्या 97/2008 अपीलांट भंवरलाल की और से प्रस्तुत की गई है यह अपील सन 2008 से लम्बित है इस अपील में अपीलांट को दिनांक 10.04.2014 से रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के नोटिस पेश करने के लिए आदेश दिया जा रहा है दिनांक 06.12.2017 तक अपीलांट को 19 अवसर देने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के नोटिस पेश नही किये गये इस पर दिनांक 26.02.2018 को अपीलांट को रजिस्टर्डड नोटिस 7 दिन में पेश करने के आदेश दिये गये इसके उपरान्त भी 5 तारिख पेशी तक दिनांक 08.10.2018 तक अपीलांट द्वारा आदेश की पालना नही की गई। इस पर दिनांक 08.10.2018 की आदेशिका में रजिस्टर्डड नोटिस पेश नही करने पर आदेश 9 नियम 5 के तहत अपील खारिज करने की चेतावनी दी गई इस पर भी अपीलांट द्वारा वरवक्त बहस दिनांक 09.01.2019 तक रजिस्टर्डड नोटिस पेश नही किये गये यद्यपि वर वक्त बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने गुणावगुण पर बहस की है किन्तु उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट द्वारा बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के रजिस्टर्डड नोटिस पेश नही किये है फलस्वरूप अपीलांट की बहस एवं गुणावगुण पर कोई विचार किये बिना अपीलांट भंवरलाल की अपील संख्या 97/2008 आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों की पालना में खारिज की जाती है।

अपील संख्या 88/2008 के अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता को वर वक्त बहस बार–बार आवाज लगाई गई उनके अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय यह अवधारणा लेता है कि अपीलांट को इस अपील में कोई

अनुतोष नही चाहिए अपील सन 2008 से लम्बित है अपील पुरानी हो चुकी है अत यह अपील गुणावगुण पर विवेचन किये बिना इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

अपील संख्या 99/2008 के सन्दर्भ में उभयपक्ष की बहस सुनी गई प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया गया है। सीधे ही अखबार में नोटिस प्रकाशित कर एकतरफा कार्यवाही का निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है दावा प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया को ताक में रखकर आदेश 7 सीपीसी के विरूद्व आवेदन को दावा मानते हुये विचाराधीन विधि विरूद्व निर्णय व डिकी पारित की है। अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वन अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार अपीलांट की तामिल करवाकर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही कर पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलांट सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट भींवराज दिनांक 17.06.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया इस आवेदन में भींवराज ने अपीलांट श्रीचन्द, सुन्दर देवी, नरेश कुमार, सरोज, ओमप्रकाश को पक्षकार नही बनाया है। विचारण न्यायालय ने इनके किसी प्रकार के नोटिस जारी नही किये गये अपितु सीधे ही अखबार में सूचना प्रकाशित करवाई है एवं अनुपस्थित रहने पर दिनांक 28.06.2008 को एकतरफा

कार्यवाही के आदेश दिये है एवं दिनांक 14.07.2008 को विचाराधीन आदेश पारित कर दिया है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी भींवराज की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष न तो वाद प्रस्तुत किया गया, न अपीलांट को पक्षकार बनाया गया, न ही विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दावे की प्रकिया अपनाकर विचाराधीन निर्णय व डिकी पारित किया गया। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय व डिकी विधि विरूद्व है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 99/2008 स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितों के विरूद्व पारित निर्णय व डिकी अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/3/19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर